

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID - cmobhilaicharoda@gmail.com ★ www.nagarnigambhilaicharoda.com Phone No.- 0788-2962380


क्र. / 247 / लो.क.वि. / न.पा.नि. / 2023


भिलाई-चरौदा, दिनांक- 03 / 10 / 2023

// निकाय क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र 21 से 40 तक वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय निविदा) हेतु नियम शर्तें //

निविदा में आयटम दर (NON S.O.R. दर) के आधार पर सम्मिलित वृक्षारोपण कार्य हेतु निम्नानुसार नियम शर्तें लागू होंगी। S.O.R. दरों पर प्रावधानित कार्यों हेतु S.O.R. में अंकित शर्तें लागू होंगी।

1. तीन वर्षों तक वृक्षों के रखरखाव/संधारण एवं जीवित रखने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।
2. अगर पेड़ किसी स्थिति में जीवित नहीं रह पाता है तो पुनः पेड़ लगाया जाना है। इस स्थिति में पेड़ को पुनः समानुपातिक लगाये जाने के बाद से तीन वर्ष के संधारण की गणना की जाएगी।
3. पेड़ लगाने के पूर्व इंजीनियर-इंचार्ज द्वारा पेड़ की क्वालिटी एवं प्रजाति का अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में पेड़ की गणना एवं भुगतान नहीं की जावेगी। हर पेड़ पर मार्किंग किया जाना आवश्यक है जिससे ट्रैकिंग की जा सकेगी।
4. सभी वृक्षों का प्रकार, स्थल एवं संख्या का चयन इंजीनियर-इंचार्ज के द्वारा ही किया जावेगा। किसी भी एक प्रजाति के वृक्षों की अधिकतम संख्या 150 से अधिक नहीं होगी।
5. भिलाई-चरौदा सीमा अंतर्गत किसी भी स्थान पर वृक्षारोपण किए जाने हेतु ठेकेदार बाध्य रहेगा।
6. सफलता पूर्वक भुगतान किये जाने उपरान्त 75 प्रतिशत तक भुगतान किया जावेगा। शेष 25 प्रतिशत राशि तीन वर्षों में भुगतान की जावेगी।
7. प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के रखरखाव सफलतापूर्वक करने के पश्चात् रोकੀ गई 25 प्रतिशत राशि में प्रथम वर्ष पश्चात् 40प्रतिशत, द्वितीय वर्ष पश्चात् 40प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष पश्चात् 20प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा।
8. श्रम कानूनों को पूर्णतः पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा तथा उनके श्रमिकों कर्मकारों व कर्मचारियों के प्रति निगम की कोई जवाबदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। लगाये गये श्रमिकों का भुगतान शासन के नियमों के अंतर्गत निम्नतम श्रमिक दर अनुसार करना होगा।
9. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा रखे गये कर्मचारियों के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिए अनुबंधकर्ता एजेंसी जवाबदार होगा।
10. वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा व निरीक्षण के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा।
11. ठेकेदार/फर्म द्वारा दिया गया दर समस्त कर/जी.एस.टी सहित होगा।
12. अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा कार्य के संबंध में कोई भी दावा व वाद आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा को स्वीकार्य नहीं होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र भिलाई-03 रहेगा।




कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई-चरौदा

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID -cmobhilaicharoda@gmail.com ★ www.nagarnigambhilaicharoda.com Phone No.- 0788-2962380

क्र./ 247 / लो.क.वि. / न.पा.नि. / 2023

भिलाई-चरौदा, दिनांक- 03/10/2023


—:: निविदा दर पत्रक ::—

कार्य का नाम :- निकाय क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र 21 से 40 तक वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय निविदा)

क्र.	कार्य का विवरण	प्राक्कलन राशि	निविदा दर (एस.ओ.आर. कम/अधिक)	
			अंको में	शब्दों में
1	2	4	5	6
1.	Works as per attached BOQ based on Schedule of Rates	7.72 lacs		

क्र.	कार्य का विवरण	नग	निविदा दर प्रति नग (आयटम दर)	
			अंको में	शब्दों में
1	2	4	5	6
1.	Supplying, planting and maintenance upto three years of trees height 8' -10' like Conocarpus, Badam, spethodia, Cassiasemia, Gulmohar, Peltaform, Kadamb, Neem, Tabubiarosia, Lagerstomiaspeosia, Amaltas, Kachnar ,Palm etc. including all excavation ,refilling and necessary arrangements such as Protection, watering, diffirent kinds of manures (vermi compost, fertilizers,) soil and medicinal treatments i/c cost of all materials required all complete as directed by Engineer in charge.	550 nos		

ठेकेदार के नाम
हस्ताक्षर एवं सील


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई-चरौदा